प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 10 /2024
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002
दिनांक: मार्च 7, 2024

विषय: विवेचना में विवेचकों द्वारा की जा रही लापरवाही एवं त्रुटियों के निराकरण हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदय,

अपराधों की गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी विवेचना सुनिश्चित करने के मार्गदर्शक सिद्धान्त इस मुख्यालय द्वारा वर्ष-2021 में जारी विवेचना हस्तपुस्तिका एवं पार्श्वांकित बॉक्स में अंकित डीजी परिपत्रों के माध्यम से निर्गत किये गये हैं, जिनमें विस्तृत रूप से यह अंकित किया गया है कि विभिन्न प्रकृति के अपराधों की विवेचना किस प्रकार सम्पादित की जायेगी और विवेचना के दौरान किन सावधानियों और बारीकियों को ध्यान में रखा जायेगा। इस मुख्यालय स्तर से विवेचना की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु लगातार निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनका अनुपालन करते हुये गम्भीर अपराधों की विवेचना में और अधिक सुधार लाया जाना अपेक्षित है।

डीजी परिपत्र सं0-26/2023 दि0-04.08.2023
डीजी परिपत्र सं0-21/2023 दि0-15.06.2023
डीजी परिपत्र सं0-40/2021 दि0-20.10.2021
डीजी परिपत्र सं0-36/2021 दि0-23.09.2021
डीजी परिपत्र सं0-28/2021 दि0-19.08.2021
डीजी परिपत्र सं0-24/2020 दि0-28.07.2020
डीजी परिपत्र सं0-53/2019 दि0-19.12.2019
डीजी परिपत्र सं0-01/2019 दि0-22.01.2019
डीजी परिपत्र सं0-06/2018 दि0-19.02.2018

2- **क्रिमिनल मिस. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-14219/2023 झम्मन बनाम उ0प्र0 राज्य तथा क्रिमिनल मिस. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-14230/2023 भोजराम उर्फ वाली बनाम उ0प्र0 राज्य** में सुनवाई के दौरान मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मु.अ.सं. 367/2023 धारा 279, 338, 304-ए, 166-बी भादवि थाना गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ के विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान धारा-15/2, 15/3 Indian Medical Counsel Act, 1956 की बढ़ोत्तरी करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है क्योंकि Indian Medical Counsel Act, 1956 को केन्द्र सरकार द्वारा निरसित (Repeal) करने के उपरान्त Indian Medical Counsel Commission Act -2019 दिनांक 20.09.2020 लागू हो चुका है।

3- **क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-47024/2023 शिव कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य** में सुनवाई के दौरान मु.अ.सं. 55/2020 धारा-376डी भादवि तथा 5/6 पॉक्सो अधि0, थाना-कुबेर स्थान, जनपद-कुशीनगर की विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा एक नामजद अभियुक्त का नाम हटाते हुये आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित करने तथा विचारण के दौरान वादी और पीड़िता के बयान के उपरान्त मा0 न्यायालय द्वारा नामजद अभियुक्त अनिल सिंह को पुनः मुल्जिम के रूप में तलब करने का तथ्य मा0 उच्च न्यायालय के संज्ञान में आने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.02.2024 में निम्नवत टिप्पणी की गयी है–

............2

"The affidavit asserts that the proper action as per law has been taken out against the concerned officials for deficiency in the investigation. There is another aspect which needs to be considered at the higher level by the police authorities. The deficiency in the investigation as has been exposed in this case also reflects another endemic problem in the Uttar Pradesh Police Force which is lack of proper supervision over the investigation.
A copy of this order be sent to the Director General of Police, Uttar Pradesh, Lucknow as well as Additional Director General of Police, Gorakhpur Zone, Gorakhpur for due consideration."

4- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि विवेचना के दौरान सतर्कता बरतने एवं त्रुटिहीन विवेचना कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेपित करने सम्बन्धी इस मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा और अधिक गहनता एवं सतर्कता से विवेचना का पर्यवेक्षण किये जाने की आवश्यकता है, जिससे तथ्यपरक एवं सुसंगत साक्ष्य संकलित करते हुये त्रुटिहीन आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेपित किया जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आरोप पत्र में वर्तमान में प्रभावी अद्यतन अधिनियमों की धारायें ही अंकित की जाएं। निरसित (Repealed) अधिनियमों तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक (ultravires) घोषित की गयी धाराओं में आरोप पत्र मा0 न्यायालय में कदापि प्रस्तुत न किये जायें।

5- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि विवेचना के सम्बन्ध में इस मुख्यालय स्तर से निर्गत विवेचना हस्तपुस्तिका तथा पूर्व में निर्गत परिपत्रों का गहनता से अध्ययन कर लें तथा अपने-अपने कमिश्नरेट/जनपद के विवेचकों को विवेचना की बारीकियों से परिचित कराने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करें। समस्त कमिश्नरेट/जनपद प्रभारियों तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि विवेचना के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

भवदीय,

7.3.24.

(प्रशान्त कुमार)

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट-लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—</u>

1. अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएँ), उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।